

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1107 /2021

दिनांक :07.05.2021

सुश्री सोनल पारीख (RJ0850), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा को दिनांक 03.04.2021 से 09.04.2021 तक 07 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 02.04.2021 एवं 10.04.2021 से 14.04.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री पारीख की अनुपस्थिति में वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा के पद पर ही की गई।


आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)
06.05.2021

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/20/2015/3032

दिनांक 07.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा को उनके पत्रांक 1416 दिनांक 15.04.2021 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री सोनल पारीख (RJ0850), प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा।
4. प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, कोटा।
5. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटा।


सहायक रजिस्ट्रार